अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर

एम.एड. सत्र 2025–27 में नामांकन हेतु आवश्यक सूचना

अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा एम.एड. सत्र–2025–27 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में उत्तीर्णता प्राप्त कर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर में नामांकन के लिए चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा नियंत्रक, बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–C/829 दिनांक–03.09.2025 के आलोक में प्राप्त चयनित सूची से संबंधित अभ्यर्थियों का Counseling/कागजातों की जाँच/सत्यापन के उपरांत नामांकन दिनांक 05.09.2025 से 15.09.2025 तक लिया जाना है। निर्धारित तिथि दिनांक 05.09.2025 से 15.09.2025 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक) महाविद्यालय में सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कागजातों की जाँच/सत्यापन/नामांकन किसी भी कार्यदिवस को कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा नामांकन के विरुद्ध आपकी दावेदारी स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

1.नामांकन के समय अभ्यर्थियों को एक Fly leaf में निम्नलिखित सभी अभिलेख मूल प्रति में एवं उसकी तीन सेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा –

(i) एम.एड. सत्र 2025–27 हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु ऑनलाईन किये गये आवेदन की प्रति।

(ii) एम.एड. सत्र 2025–27 हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र/अंक प्रमाण–पत्र/कॉलेज एलॉटमेंट प्रमाण–पत्र।

(iii) आयु प्रमाण–पत्र (मैट्रिक का मूल प्रमाणपत्र)

(iv) स्नातक उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र

(v) यदि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, तो प्रमाणपत्र एवं अंक पत्र

(vi) B.Ed./B.El.Ed./B.A, B.Sc. B.Ed./D.El.Ed. का मूल/औपबंधिक प्रमाणपत्र, अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र

(vii)**महाविद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र (CLC अथवा DLC) मूल रूप (Original Copy) में।**

(viii) यदि आरक्षित कोटि के हों तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं निवास प्रमाणपत्र

(ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए **"अनुसूची–1 (प्रपत्र–1)"** में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र (EWS प्रमाण–पत्र)

(x) आरक्षित वर्ग की महिला के लिए, **पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाणपत्र (हाल का)** (यानी मायके का बना हुआ)

(xi) प्रवजन (Migration) प्रमाणपत्र (केवल BRABU, Muzaffarpur से बाहर के छात्रों के लिए)

(xii) तीन पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटोग्राफ जो हाल ही का खींचा गया हो।

(xiii) दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र

(xiv) कोर्ट से Notary द्वारा निर्गत शपथ पत्र जिसका प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र नहीं होने की स्थिति में आपके नामांकन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(xvi) नामांकन हेतु ऑनलाईन भुगतान किया गया शुल्क की प्राप्ति प्रति

2. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के बाद नामांकन शुल्क की राशि ऑनलाईन UPI अथवा Debit Card/ Credit Card/ Net banking के माध्यम से निम्न रुप में भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

P.T.O.

प्रथम वर्ष का नामांकन शुल्क कोटिवार निम्नवत् है –

कोटि	प्रथम वर्ष हेतु शुल्क की राशि
सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	13,500/–
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग (निःशक्त)	6,750/–

3. आपका नामांकन औपबंधिक हो रहा है और नामांकन के समय आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण–पत्रों व अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर नामांकन रद्द करते हुए आप पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है।

नोटः –

1. **क्रम संख्या–1 में अंकित सभी वांछित प्रमाणपत्रों की मूल प्रति के साथ छाया प्रति की उपलब्धता अनिवार्य होगी। किसी भी प्रमाणपत्र/दस्तावेज की कमी के आधार पर नामांकन का दावा अस्वीकृत होगा।**

02.12.25

(गिरिजा कुमारी)
नामांकन प्रभारी
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
तुर्की, मुजफ्फरपुर

शपथ पत्र

मैं.. पिता..

ग्राम .... पो0 .... थाना ....

जिला ...., बिहार शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा एम.एड. सत्र 2025–27 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2025 द्वारा मेरा चयन अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर में हुआ है।
3. विभागीय निदेशानुसार मेरा नामांकन औपबंधिक रूप से हो रहा है।
4. यह कि उपर्युक्त शैक्षणिक संस्थान में मेरे द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्र वैध व सही है। नामांकन के उपरान्त मेरे द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के क्रम में अगर कोई भी प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो मेरा नामांकन रद्द करते हुए मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
5. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 807 दिनांक 18.10.2012 के आलोक में एक माह लगातार अनुपस्थित रहने पर मेरा नामांकन स्वतः रद्द हो सकेगा।
6. NCTE Reg. 2014 के आलोक में बिहार राजभवन द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के द्वारा एम0एड0 पाठ्यक्रम से संबंधित महाविद्यालय के निदेशानुसार सैद्धान्तिक–व्यवहारिक कक्षा के साथ–साथ विभिन्न गतिविधियों में सक्रियता से नियमित उपस्थित रहूँगा।
7. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2872 दिनांक 02.09.2025 के आलोक में 85 प्रतिशत नहीं रहने पर परीक्षा फार्म भरने से वंछित कर दिया जायेगा। एवं इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशिक्षु की होगी।
8. महाविद्यालयीय अनुशासन की उपेक्षा करने पर मेरा नामांकन रद्द हो सकता है, तथा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर